>

Title: Need to include Rajasthani language in the Eighth Schedule to the Constitution of India.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): भारत सरकार द्वारा पारित शिक्षा के अधिकार के प्रावधानों में यह उल्लेखित है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाये, लेकिन राजस्थान राज्य की मातृभाषा राजस्थानी को अभी तक संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है और राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिली है। अतः राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में दी जाये, इसका भमू व संदेह पूरे शिक्षा विभाग में बना हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार के गृह मंत्रालय से अपील करता हूं कि 15 दिसम्बर, 2006 को भारत सरकार के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री द्वारा राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने का आश्वासन सदन में दिया गया था। उस आश्वासन के अनुरूप सरकार तुंत कार्यवाही करे। मैं यहां पर यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान विधान सभा ने 25 अगस्त, 2003 को सर्वसम्मत प्रस्ताव पास कर केन्द्र सरकार को भेज रखा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थानी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या 10 करोड़ से अधिक है। यदि शिक्षा के अधिकारी को सही मायने में लागू किया जाना है तो राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में तत्काल शामिल किया जाये, जिससे प्राथमिक शिक्षा में शिक्षा के अधिकार का पालन हो सकें एवं करोड़ों लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा को उसका उचित सम्मान मिल सके।